फार्म नं. 1

प्रथम सूचना प्रतिवेदन ( धारा 154 द. प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ) वि.पु.स्था.सी.-II

FIRST INFORMATION REPORT (Under Sec. 154 Cr.P.C.) S.P.E.C.-II

बुक नं. / Book No. **1389** क्रम सं. / Serial No. **07**

1. जिला : District **New Delhi** थाना : PS: **CBI/AC-II/NEW DELHI** वर्ष : Year **2023** प्र.सू.प्र.क्र. FIR No. **RC2172023A0001** दिनांक : Date **07.01.2023**

2. (1) विधान : Act **IPC** धाराएं : Sections **386, 342, 504, 506, 409, 420, 467, 468 471, 120-B**

(2) विधान : Act **PC Act 1988 (as amended in 2018)** धाराएं : Sections

(3) विधान : Act धाराएं : Sections **7**

(4) अन्य विधान एवं धाराएं : Other Acts & Sections

3. (क) प्रतीत अपराध : (a) Suspected Offence **Criminal conspiracy, Cheating, Forgery, Extortion, Criminal breach of trust, Illegal confinement, Intentional insult, Criminal Intimidation, demand & acceptance of undue advantage etc.**

(ख) दिन : (b) Day दिनांक Date समय Time

**During the period 2020-21 onwards**

(ग) थाने पर सूचना प्राप्त होने का (c) Information received at PS दिनांक Date

**SPE/CBI/AC-II/New Delhi** **06.01.2023**

कायमी अपराध : Entry No. **02** दिनांक Date **07.01.2023** समय Time **1615 hrs**

4. सूचना का प्रकार : Type of Information लिखित/मौखिक Written/Oral **Written**

5. घटना का स्थान Place of Occurrence **Agra, Kanpur, Lucknow and other places.**

(क) थाने से दिशा व दूरी : (a) Direction & Distance from PS

बीट नं. / Beat No.

(ख) पता:
(b) Address **NA**

(ग) घटनास्थल अन्य थाना क्षेत्राधिकार में है तो थाना –
(c) In case, outside the limit of this Police Station, then
**NA**

पुलिस थाना का नाम
Name of PS

जिला
District

6. अभियोगी / सूचनाकर्ता :
Complainant / Informant

(क) नाम
(a) Name **Sh. David Merio Denis**

(ख) पिता / पति का नाम
(b) Father's / Husband's Name **Late Dr. R Y Denis**

(ग) जन्म तिथि
(c) Date of Birth **29/05/1967**

(घ) राष्ट्रीयता:
(d) Nationality **Indian**

(ङ) पासपोर्ट नं. ............................ जारी दिनांक .............. जारी होने का स्थान ....................
(e) Passport No Date of Issue Palce of Issue

(च) व्यवसाय
(f) Profession **Managing Director, Digitext Technologies India Pvt. Ltd.**

(छ) पता –
(g) Address **B-1/248, Sector-G, Jankipuram, Lucknow (U.P.)**

7. ज्ञात / संदेही / अज्ञात / आरोपी का पूर्ण विवरण:
Details of known / suspected / unknown accused with full particulars
(यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना संलग्न करें).
(Attached separate sheet, if necessary)

(1) **Shri Vinay Pathak, the then Vice Chancellor, Dr. Bhimrao, Ambedkar University, Agra.**
(2) **Shri Ajay Mishra, Owner, XLICT Company.**
(3)

8. अभियोगी / सूचनाकर्ता द्वारा सूचना दिए जाने में विलंब का कारण :
Reasons for delay in reporting by the complainant / informant

**No Delay**

9. अपहृत / सम्बद्ध सम्पत्ति का पूर्ण विवरण : (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना संलग्न करें)
Particulars of properties Stolen (Attach separate sheet, if necessary)

**NA**

10. अपहृत / सम्बद्ध सम्पत्ति का कुल मूल्य :
Total value of property stolen
:

**NA**

11. मर्ग / अकाल मृत्यु सूचना क्रमांक :
Inquest Report / U. D. case No. if any

**NA** :

12. प्रथम सूचना विवरण :- (यदि आवश्यक हो तो अलग से पन्ना संलग्न करें)
First information contents (Attach separate sheet, if required)

**Separate sheets enclosed as Annexure 'A'**

Annexure-"A"

## INFORMATION

The Government of Uttar Pradesh, Home Department vide Notification No. 2628(I)/6-P-12-2022-2(39)D/22, dated 29.12.2022 (copy enclosed as Annexure-B) has accorded consent U/s 6 of DSPE Act, 1946 extending the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of case Crime No. 310/2022 u/s- 386, 342, 504, 506, 409, 420, 467, 468, 471, 120B IPC and section 7 Anti Corruption Act PS-Indira Nagar, District – Lucknow as well as for enquiry/investigation into demand of commission through Ajay Mishra, abuse and threatening to complainant.

With the above consent, the Department of Personnel & Training, Government of India, New Delhi vide Notification No. F. No. 228/04/2023-AVD-II New Delhi dated 06.01.2023 (copy enclosed as Annexure-C) under sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act 25 of 1946) has extended the powers and jurisdiction of the members of Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) under section 386, 342, 504, 506, 409, 420, 467, 468, 471, 120B of the Indian Penal Code, 1860( 45 of 1860) and section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) relating to Case Crime FIR No. 0310/2022 dated 29.10.2022 registered at Police Station Indra Nagar, District Lucknow and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of same transaction or arising out of the same facts.

On the basis of the aforesaid notification issued by the Government of Uttar Pradesh and subsequent notification issued by the Government of India, Case Crime No. 0310/2022 dated 29.10.2022 of PS - Indira Nagar, District Lucknow is re-registered by the CBI, AC-II, New Delhi to take up investigation of the aforesaid case relating to offences under section 386, 342, 504, 506, 409, 420, 467, 468, 471, 120B of the Indian Penal Code, 1860( 45 of 1860) and section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018). Copy of FIR OF Case Crime No. 310/2022 dated 29.10.2022 of PS Indira Nagar, District Lucknow is enclosed as Annexure-D. Hence, investigation of this case is entrusted to Shri S.B.S. Amarnath, Inspector, CBI, AC-II, New Delhi.

7/1/2023

**(R R TRIPATHI)**
**ADDL. SUPDT. OF POLICE**
**CBI/AC-II/NEW DELHI**

आर० आर० त्रिपाठी/R.R. TRIPATHI
अपर पुलिस अधीक्षक/Addl. Supdt. of Police
सी.बी.आई., ए.सी.-2, नई दिल्ली
CBI, AC-II, New Delhi

Government of U.P.
Home (Police) Section-12
No.2628(1)/6-P-12-2022-2(39)D/22
Dated: Lucknow: 29 December,2022

**ORDER**

In pursuance of the provisions of section-6 of Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Government of State of U.P. is pleased to accord consent to the extension of the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment in whole of the State of Uttar Pradesh for investigation of Case Crime No.-310/2022 u/s-386,342,504,506, 409,420,467,468,471,120B IPC and section-7 Anti Corruption Act PS-Indra Nagar, District-Lucknow as well as for enquiry / investigation into demand of commission through Ajay Mishra, abuse and threatening to complainant.

By Order and in the name of
Governor of State of U.P.

(Sanjay Prasad)
Principal Secretary,
Home Department
U.P. Govt.



Generated from eOffice by Sanjay Kumar Chaurasia, US (AVD-II), UNDER SECRETARY, DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING ( on 05/01/2023 06:35 PM

Annexure "C"

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)
NEW DELHI

## NOTIFICATION

Dated, the 06th January, 2023

S.O. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 read with section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (25 of 1946), the Central Government with the consent of the State Government of Uttar Pradesh issued vide Order No.2628(1)/6-P-12-2022-2(39)D/22 dated 29.12.2022, Home (Police) Section-12, Lucknow, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole State of Uttar Pradesh for investigation into the offence(s) under sections 386, 342, 504, 506, 409, 420, 467, 468, 471, 120B of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) and section 7 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) (as amended by Act 16 of 2018) relating to Case Crime FIR No. 0310/2022 dated 29.10.2022, registered at Police Station Indra Nagar, District Lucknow and any attempt, abetment and/or conspiracy, in relation to or in connection with such offence(s) and/or for any other offence committed in the course of same transaction or arising out of the same facts.

[F. No. 228/04/2023-AVD-II]

(Sanjay Kumar Chaurasia)
Under Secretary to the Government of India

To,

**The Manager**
**Govt. of India Press**
**Mayapuri, Ring Road**
**New Delhi – 110 064**

**F. No. 228/04/2023-AVD-II** **New Delhi dated 06.01.2023**

**Copy To**

(i) The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, 101, Lok Bhawan, U.P. Civil Secretariat, Vidhan Sabha Marg, Lucknow - 226001
(ii) The Director, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO Complex, New Delhi.
(iii) Director of Prosecution, Central Bureau of Investigation (CBI), CGO complex, New Delhi.
(iv) Guard File.

(Sanjay Kumar Chaurasia)
Under Secretary to the Government of India

Annexure - "D"

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

# FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. District (जिला): लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ)
P.S. (थाना): इन्दिरानगर Year (वर्ष): 2022
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0310
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 29/10/2022 07:27

2.

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धारा(एँ)) |
|---|---|---|
| 1 | भा दं सं 1860 | 342 |
| 2 | भा दं सं 1860 | 386 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 504 |
| 4 | भा दं सं 1860 | 506 |
| 5 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 | 7 |

3.(a) Occurrence of offence (अपराध की घटना) :

1. Day (दिन): Date From (दिनांक से ): Date To (दिनांक तक ):

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से ): Time To (समय तक):



प्रमाणित

थाना-इन्दिरा नगर कमिश्नरेट लखनऊ

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

(b)Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई ):

Date (दिनांक ): 29/10/2022 Time (समय):07:27 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 011 Date & Time (दिनांक और समय): 29/10/2022 07:27 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित
5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा ): पश्चिम, 03 किमी Beat No. (बीट सं.):
(b) Address (पता): मकानप्रतिवादी,अजय मिश्रा , खुर्रमनगर,इदिरानगर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
Name of P.S. (थाना का नाम):
District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता ):

(a) Name (नाम): श्री डेविड मारियो डेनिस

(b) Father's Name (पिता का नाम) : स्व0 डा0 आर0वाई0 डेनिस

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष ): 29/05/1967

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान ):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

| S.No.(क्र.सं.) | Id Type (पहचान पत्र का प्रकार) | Id Number (पहचान संख्या) |
|---|---|---|
| 1 | | |

(h) Address (पता):

| S.No. (क्र.सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | बी-1/248 ,सेक्टर जी,जानकीपुरम ,लखनऊ,जानकीपुरम,लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | स्थायी पता | बी-1/248 ,सेक्टर जी,जानकीपुरम ,लखनऊ,जानकीपुरम,लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत |

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9335216647

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):



थाना-इन्दिरा नगर
कमिश्नरेट लखनऊ

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Present Address (वर्तमान पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री विनय पाठक तत्कालीन कुलपति डा0भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा | | | 1. कानपुर विश्वविद्यालय परिसर , कल्यानपुर,पश्चिमी (कमिश्नरेट कानपुर नगर),उत्तर प्रदेश,भारत |
| 2 | अजय मिश्रा मालिक XLICTकम्पनी | | | 1. खुर्रमनगर,इंदिरानगर लखनऊ, इन्दिरानगर,लखनऊ उत्तरी (कमिश्नरेट लखनऊ),उत्तर प्रदेश,भारत |

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (संपत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति का प्रकार) | Description (विवरण) | Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में)) |
|---|---|---|---|---|

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो ):

| S.No. | UIDB Number |
|---|---|

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य ):

नकल तहरीर वादी हिन्दी टाइपशुदाः-सेवा में,प्रभारी निरीक्षक,कोतवाली इन्दिरानगर, लखनऊ। महोदय,सविनय निवेदन है कि प्रार्थी डिजिटेक्स टेक्नालजिज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड 3, रंजनीगंधा अपार्टमेंट गोखलेमार्ग, लखनऊ का प्रबंध निदेशक है। प्रार्थी की कम्पनी सत्र वर्ष 2014-15 से डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का प्री एवं पोस्ट परीक्षा से संबंधित कार्य कर रही है। प्रार्थी की कम्पनी सत्र वर्ष 2019-20 तक आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षा से संबंधित अनुबंध के तहत कार्य कर रही थी। सत्र वर्ष 2020-21 में यूपीएल0सी0 के माध्यम से डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय का प्री एवं पोस्ट परीक्षा से संबंधित कार्य कर रही है। प्रार्थी की कम्पनी द्वारा सत्र वर्ष 2020-21 व 2021-2022 में किये गये कार्यो से संबंधित बिल का भुगतान आगरा विश्वविद्यालय में लंबित था। डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति प्रो0 विनय पाठक से व्यक्तिगत तौर पर सम्पर्क कर लंबित बिलों के भुगतान हेतु अनुरोध किया,



प्रमाणित

जिस पर कुलपति ने कानपुर विश्वविद्यालय स्थित आवास पर बुलाया। प्रार्थी माह फरवरी 2022 में कानपुर विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति महोदय से उनके आवास पर मिला, तव कुलपति महोदय ने कहा कि मुझे बिलों के भुगतान में 15 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होता है। 15 प्रतिशत कमीशन दोगें, तब ही मैं बिल पास करूंगा। प्रार्थी ने कहा कि भारी धनराशि का बिल लंबित है, जिसका जी0एस0टी0 भी जमा नहीं है। मेरे पास कर्मचारियों को वेतन देने के लिये पैसा नहीं है, जिस पर कुलपति महोदय ने अपशब्दों का प्रयोग करते हुये कहा कि जब तक 15 प्रतिशत कमीशन नहीं दोगे, तब तक बिल पास नहीं करूंगा, जिस तरह कानपुर विश्वविश्वविद्यालय से तुम्हारी कम्पनी को कार्य से हटा दिया हूं, उसी तरह आगरा विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालयों से भी तुम्हारी कम्पनी को हटवा दूंगा। तुम जानते नहीं हो, मैं कुलपति बनवाता हूं। 08 विश्वविद्यालयों में मेरे द्वारा ही कुलपति बनवाया गया है। मुझे ऊपर तक पैसा देना पड़ता है। पुनः अपशब्दों का प्रयोग करते हुये धमकी दिया कि मेरे संबंध अधिकारियों एवं माफियाओं से भी है। कहीं पर भी जाओगे, कहीं से भी आपकी कम्पनी को कोई मदद नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारी कम्पनी को किसी भी विश्वविद्यालय में काम करने नहीं दूंगा, जिससे प्रार्थी भयभीत हो गया। काफी अनुनय विनय करने के उपरान्त भी कुलपति श्री विनय पाठक लंबित बिलों के भुगतान हेतु तैयार नहीं हुये, तब प्रार्थी मजबूरीवश 15 प्रतिशत कमीशन देने के लिये तैयार हो गया तथा कुलपति महोदय से कहा कि इस समय मेरे पास कमीशन देने का पैसा नहीं है। आप बिल पास कर दीजिए, खाते में पैसा आते ही 15 प्रतिशत कमीशन का भुगतान कर दूंगा, इस पर कुलपति महोदय ने XLICT कम्पनी के मालिक अजय मिश्रा का मोबाइल नम्बर 9839015844 देकर कहा कहा कि बिल भुगतान के पश्चात अजय मिश्रा से सम्पर्क कर खुर्रमनगर लखनऊ स्थित उनके आवास पर कमीशन का पैसा पहुंचा देना तब ही तुम्हारी कम्पनी को आगे काम करने दूंगा। कमीशन का पैसा अजय मिश्रा को कैसे दोगे, इस संबंध में अजय मिश्रा बता देगें। नगद धनराशि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी है। कुलपति श्री विनय पाठक महोदय ने धमकी देते हुये कहा कि बिल पास करने के बाद अगर अजय मिश्रा को कमीशन का पैसा नहीं दोगे, तो तुम्हें जान से मरवा दूंगा। तत्पश्चात् कुलपति महोदय ने प्रार्थी के मोबाइल नं0-93335216647 से एप्पल मोबाइल के फेस टाइम ऐप से अजय मिश्रा से बात कराया तथा अजय मिश्रा से बोले कि डेविट आपसे सम्पर्क करेगें, इनको बता देना कि इन्हें कमीशन का पैसा आपको कैसे देना है। प्रार्थी को हिदायत किया कि कमीशन के संबंध में जब भी बात करना तो एप्पल मोबाइल के फेस टाइम ऐप से ही बात करना तथा बात करने के बाद काल डिलीट कर देना। इसके उपरान्त प्रार्थी XLICT कम्पनी के मालिक अजय मिश्रा से सम्पर्क कर उनके खुर्रमनगर लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचा तब अजय मिश्रा ने प्रार्थी से कहा कि कुलपति महोदय ने आपका बिल पास कर दिया है तथा दो करोड़ 52 लाख रूपये आपके खाते में पहुंच गया है। कमीशन कुल तैंतीस लाख रूपये होता है। नगद तैंतीस लाख रूपये की व्यवस्था कर दे दीजिये। इसके उपरान्त प्रार्थी तीस लाख रूपये की व्यवस्था कर अजय



प्रमाणित

कमिश्नरेट लखनऊ

मिश्रा के घर देने पहुंचा तब अजय मिश्रा ने प्रार्थी को जबरन घर के अंदर बैठा लिया और कहा कि तैतीस लाख रूपये देने की बात हुई थी, तीन लाख रूपये कम क्यों लेकर आये हो। बाकी तीन लाख रूपये मंगाकर दो, तभी जाने दूंगा, तब मैंने कहा कि किसी तरह नगद तीस लाख रूपये की व्यवस्था कर पाया हूं। एक दो दिन का टाइम दे दीजिये, व्यवस्था कर दो दिन के अंदर बाकी तीन लाख रूपये दे दूंगा, तब अजय मिश्रा ने मुझे जान से मारने की धमकी देते हुये कहा कि जब तक बाकी तीन लाख रूपये नहीं दे देते हो, आगे तुम्हारा बिल पास नहीं होगा और अपनी जान से हाथ धो बैठोगे और कहा कि यह बात दिमाग में बैठा लो कि यह बात बाहर गई तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। काफी अनुनय विनय करने के उपरान्त अजय मिश्रा ने कहा कि आज तो छोड़ दे रहा हूं, कल तक बाकी तीन लाख रूपये पहुंचा देना। दूसरे दिन प्रार्थी नगद तीन लाख रूपये की व्यवस्था कर अजय मिश्रा को उनके घर जाकर दे दिया था। यदि मैंने पूरा पैसा न दिया होता तो कुलपति प्रो0 विनय पाठक व अजय मिश्रा मेरी हत्या करवा देते। माह अप्रैल 2022 में कुलपति महोदय ने प्रार्थी से कहा कि आपका चार करोड़ पैतालिस लाख रूपये का बिल पास कर दिया हूं, जाकर अजय मिश्रा से मिलकर 15 प्रतिशत कमीशन का पैसा अजय मिश्रा को दे दो। इसके उपरान्त प्रार्थी अजय मिश्रा से सम्पर्क कर उनके घर पर मिला, तब अजय मिश्रा ने कहा कि कुलपति महोदय ने चार करोड़ पैतालिस लाख रूपये का बिल पास कर दिया है। कमीशन का तिहत्तर लाख रूपये होता है। इस पर प्रार्थी ने कहा कि नगद तिहत्तर लाख रूपये की व्यवस्था करना संभव नहीं है, तब अजय मिश्रा ने कहा कि International business forms अलवर राजस्थान के खाते में तिरसठ लाख रूपये ट्रान्सफर कर दीजिये, बाकी दस लाख रूपये की व्यवस्था कर नगद दे दीजिये। अजय मिश्रा के कहने प्रार्थी ने डिजिटेक्स टेक्नालजिज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड के एचडीएफसी बैंक जानकारीपुरम लखनऊ के खाता सं0-19082320000056 से International business forms अलवर राजस्थान के पंजाब नेशनल बैंक न्यू रेलवे रोड गुड़गांव हरियाणा आईएफसी कोड-PUNB0007110 के खाता सं0-00714011000415 में दि0-29.04. 2022 को रू0-51,62,500/-एवं दि0-30.04.2022 को रू0-11,80,000/- व रू0-10,98,875/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से ट्रान्सफर कर दिया था। दिनांक-01.09.2022 को कुलपति महोदय ने प्रार्थी से कहा कि दो करोड उन्नासी लाख रूपये का बिल पास कर दिया हूं। अजय मिश्रा से जाकर मिलकर कमीशन का पैसा दे दो। इसके उपरान्त प्रार्थी अजय मिश्रा से सम्पर्क कर उनके घर पर जाकर मिला तथा दो बार में कमीशन का क्रमशः बीस लाख रूपये एवं रू0-15,55,000/- कुल पैतीस लाख पचपन हजार रूपये नगद अजय मिश्रा को दे दिया था। डा0 भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति श्री विनय पाठक ने प्रार्थी की मजबूरी का फायदा उठाकर अजय मिश्रा के माध्यम से कमीशन के रूप में अब तक लगभग कुल एक करोड़ इकतालिस लाख रूपये लिया है तथा प्रार्थी व प्रार्थी की कम्पनी को भुखमरी के कगार पर लाकर छोड़ दिया है। कुलपति श्री विनय पाठक ने प्रार्थी से पूछा कि डा0



प्रमाणित

भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय के परीक्षा सत्र 2022-23 से संबंधित कार्य का अनुबंध जारी रखने के लिये कितना कमीशन दोगें, तब प्रार्थी ने कहा कि विश्वविद्यालय में नयी कुलपति आ गयी है, जैसा कहेगी, उसी के अनुसार करूंगा। इस पर तत्कालीन कुलपति श्री विनय पाठक ने धमकी देते हुये कहा कि दस लाख रूपये दोगे, तभी तुम्हारी कम्पनी का अनुबंध जारी रहेगा नहीं तो तुम्हारी कम्पनी का अनुबंध समाप्त कराकर अजय मिश्रा की कम्पनी का वर्क आर्डर करवा दूंगा। प्रार्थी ने जब दस लाख रूपये कुलपति श्री विनय पाठक को नहीं दिया, तब प्रार्थी की कम्पनी की जगह यूपीडेस्को के माध्यम से अजय मिश्रा की कम्पनी को काम दिलवा दिया है, जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से तनावग्रस्त है। प्रार्थी को कुलपति श्री विनय पाठक से जानमाल का खतरा है। भविष्य में प्रार्थी के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है, तब इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति विनय पाठक की होगी।अतः श्रीमान से से प्रार्थना है कि प्रार्थी की सूचना दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक-29.10.20232 हस्ताक्षर अग्रेजी में अपठनीय /29.10.2022 प्रार्थी (डेविड मारियो डेनिस) पुत्र स्व0 डा0 आर0 वाई डेनिस निवासी बी-1/248 सेक्टर जी जानकारीपुरम लखनऊ। मो0नं0-9335216647 एफ0आई0आर0 की कायमी व फीडिग मुझ का0 2890 आदर्श कुमार की गयी।(अलावा तकनीकी त्रुटि के)

**13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

**(1) Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया ): **or** (या)

**(2) Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): vijai raj Singh **Rank** (पद): Dy. SP (Deputy Superintendant of

**No.** ( सं.): 9454401186 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

**(3) Refused investigation due to** (जांच के लिए ):



प्रमाणित

थाना-इन्दिरा नगर कमिश्नरेट लखनऊ

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला): on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name Ram Phal Prajapati
Rank I (Inspector)
No. 072410282

प्रमाणित

थाना-इन्दिरा नगर कमिश्नरेट लखनऊ

**Attachment to item 7 of First Information Report**
**(प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**
**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:**
**( If known / seen )**
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :
(यदि ज्ञात / देखा गया))

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height (cms.) (कद (से.मी.)) | Complexion (रंग) | Identification Mark (s) (पहचान चिन्ह ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | पुरुष | | | | | |
| 2 | पुरुष | | | | | |

| Deformities/ Peculiarities | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |



प्रमाणित

थाना-इन्दिरा नगर कमिश्नरेट लखनऊ

| Language /Dialect (भाषा/बोली) | Place Of (का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान ) | Leucoderma (लुकोदेर्मा (सफ़ेद धब्बे)) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव ) | Tattoo (गूदे हुए का ) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)

[redacted]

13. कार्यवाही जो की गई : चूँकि उपरोक्त विवरण क्रमांक 2 में उल्लिखित धारा (ओ) के अंतर्गत घटने वाले अपराध को उद्घाटित करता है।
Action taken : Since the above information reveals commission of offernce(s) u/s as mentioned at Item no. 2

(1) मामला पंजीकृत किया गया एवं जांच प्रारम्भ हुआ अथवा
Registered the case and took up the investigation or

**Regular case is registered**

(2) निर्देशित (जांच अधिकरी का नाम) — रैंक — नं. — जांच हेतु लिया गया
Directed (Name of IO) — Rank — No. — Took up for investigation

**Shri S.B.S Amarnath Inspector of Police /CBI/AC-II/New Delhi**

(3) कारण से जांच के नामंजूर — अथवा
Refused investigation due to — or

**NA**

(4) पुलिस थाना को स्थानांतरित किया गया — जिला — क्षेत्राधिकार के आधार पर
Transferred to PS — District — on point of jurisdiction

**NA**

अभियोगी / सूचनाकर्त्ता को प्र.सू. पत्र पढ़ाकर / पढ़कर सुनाया गया, जिन्होंने सही-सही अभिालिखित होना स्वाकार किया। इसकी एक प्रति अभियोगी / सूचनाकर्त्ता को नि:शुल्क प्रदान की गई।
FIR read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost.

पढ़ कर सुनाया व सही स्वीकृत होना पाया।
R. O. A. C.

14. **अभियोगी / सूचनाकर्त्ता के हस्ताक्षर**
**Signature / Thumb impression of the complainant/informant**

**थाना अधिकारी के हस्ताक्षर**
**Signature of Officer in-charge Police Station**
**नाम / Name**
**(पद) / Rank**

No. 7/1/2023

**(R R TRIPATHI)**
**ADDL. SUPDT. OF POLICE**
**CBI/ACU-II/NEW DELHI**

आर० आर० त्रिपाठी / R. R. TRIPATHI
अपर पुलिस अधीक्षक/Addl. Supdt. of Police
सी.बी.आई., ए.सी.-2, नई दिल्ली
CBI, AC-II, New Delhi

15. न्यायालय को भेजने का दिनांक एवं समय
Date and time of despatch to the ourt

(प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित)
Signature of recording Officer with date

प्रथम सूचना रिपोर्ट का आइटम 7 लगाएं
Attachment to item 7 of First Information Report

संदिग्ध व्यक्ति की शारीरिक विशेषताएं, विरुपता तथा अन्य विवरण :-
Physical features. deformities and other details of the suspect/accused : (If known / seen)

| क्र.सं. Sl. No. | *लिंग (Sex) | *जन्म की तारीख / वर्ष Date/ year of Birth | *शारीरिक गठन (Built) | *ऊंचाई से. मी. में (Height) (in Cms) | * वर्ण (Complexion) | * पहचान चिन्ह (Identification Mark/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

| विरुपता/विलक्षणता (Deformities peculiarities) | दांत (Teeth) | बाल (Hair) | आँख (Eye) | आदतें (Habits) | पहनावा (Dress habit/s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| भाषा / बोली (Language / Dialect) | स्थान / Palce of | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | जले का निशान (Burn mark) | श्वेत कुष्ठ (Leucoderma) | तिल (Mole) | जख्म चिन्ह (Scar) | गोदना (Tattoo) |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | |

अभियोगी / सूचनाकर्त्ता, द्वारा संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में एक या अधिक विवरण दिए जाने पर ही इसमें प्रविष्टि की जाए।

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.